

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11714/ 3978

दिनांक :- 31-7-19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री धनराज नगर [लिंक न. 11714] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झालावाड़ - [1114] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री धनराज नगर की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 29/09/2018, 30/09/2018 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11714/ 3978

दिनांक :- 31-7-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झालावाड़
2. कोषाधिकारी झालावाड़
3. श्री /श्रीमती / सुश्री धनराज नगर [11714] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झालावाड़
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9804 / 3979

दिनांक :- 31-7-19

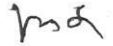
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री देवेन्द्र सिंह [लिंक न. 9804] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोषाधिकारी, पीपलू टोंक को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जात है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 04 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री देवेन्द्र सिंह की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 29/09/2018, 30/09/2018 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक . प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9804 / 3979

दिनांक :- 31-7-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपकोषाधिकारी, पीपलू टोंक
2. कोषाधिकारी बीकानेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री देवेन्द्र सिंह [9804] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोषाधिकारी, पीपलू टोंक
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 11188 / 3480

दिनांक :- 31-7-19

कार्यालय आदेश

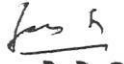
श्री /श्रीमती / सुश्री हनुमान प्रसाद गर्ग [लिंक न . 11188] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झालावाड़ - [1114] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस

(दिनांक 29.09.2018 से 30.09.2018 के अनुवर्ती राजपत्रित अवकाश सहित)

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री हनुमान प्रसाद गर्ग व सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 11188 / 3480

दिनांक :- 31-7-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झालावाड़
2. कोषाधिकारी झालावाड़
3. श्री /श्रीमती / सुश्री हनुमान प्रसाद गर्ग [11188] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झालावाड़
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10345 / 3981

दिनांक :- 31-7-19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री जितेंद्र सिंह शेखावत [लिंक न. 10345] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (सचिवालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर - [1110] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 27/09/2018 से 28/09/2018 तक 2 दिवस

कुल 2 दिवस

उक्त कुल 2 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री जितेंद्र सिंह शेखावत की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 29/09/2018, 30/09/2018 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10345 / 3981

दिनांक :- 31-7-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (सचिवालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री जितेंद्र सिंह शेखावत [10345] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (सचिवालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10085/3982

दिनांक :- 31-7-19

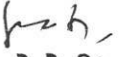
कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री पुष्पेंद्र कुमार मीना [लिंक न. 10085] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर - [17924] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 14/05/2019 से 24/05/2019 तक 11 दिवस

कुल 11 दिवस

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री पुष्पेंद्र कुमार मीना की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 25/05/2019, 26/05/2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10085/3982

दिनांक :- 31-7-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर
2. कोषाधिकारी अजमेर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री पुष्पेंद्र कुमार मीना [10085] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11885/ 3987

दिनांक :- 31-07-19

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री खुशबू कच्छवाहा [लिंक न. 11885] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, विधि विभाग, जोधपुर - [915] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 26/02/2018 से 26/02/2018 तक 1 दिवस

दिनांक 11/12/2018 से 20/12/2018 तक 10 दिवस

दिनांक 15/01/2019 से 15/01/2019 तक 1 दिवस

दिनांक 29/01/2019 से 29/01/2019 तक 1 दिवस

कुल 13 दिवस

उक्त कुल 13 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री खुशबू कच्छवाहा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11885/ 3987

दिनांक :- 31-07-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, विधि विभाग, जोधपुर
2. कोषाधिकारी जोधपुर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री खुशबू कच्छवाहा [11885] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, विधि विभाग, जोधपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)